Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◻ अंक- 59 ◻ रायपुर, मंगलवार 25 मार्च 2025 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

उन्नाव दुष्कर्म मामले से जुड़े लोगों और गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस

नई दिल्ली, 25 मार्च (न्यूज चैनल)। उन्नाव दुष्कर्म मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आ रहा है। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि इस मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पीड़िता को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी भी खतरे की आशंका है। हालांकि, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों और अन्य गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषसिद्धि पहले ही हो चुकी है। पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि इस कोर्ट से संबंधित व्यक्तियों को उस वक्त दी गई सुरक्षा जारी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, हम यह साफ करते हैं कि अगले आदेश तक पीड़िता के लिए सीआरपीएफ सुरक्षा जारी रहेगी।

सुरंग के अंदर मिला एक और शव, अब तक दो की बरामदगी; निकालने के प्रयास में लगा बचाव दल

नई दिल्ली, 25 मार्च (न्यूज चैनल)। तेलंगाना के नागरकुरनूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग के अंदर मंगलवार सुबह एक और श्रमिक का शव मिला है। यह शव खराब स्थिति में फंसा हुआ है। बचाव दल शव को निकालने का प्रयास कर रहा है। बचाव दल के अनुसार, आज सुबह हमें एक और शव फंसा हुआ मिला। फिलहाल हम उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि एसएलबीसी सुरंग 22 फरवरी 2025 को ढह गई थी। दुर्घटना में आठ श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे। तभी से श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए बचाव दल की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। हालांकि, 9 मार्च को बचाव दल ने इन श्रमिकों में से एक गुरप्रीत सिंह का शव बरामद किया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। इससे पहले, मुख्यमंत्री रेड्डी ने अधिकारियों को सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों का पता लगाने और बचाव अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिव शंकर लोटेटी को विशेष अधिकारी नियुक्त करें, ताकि वे बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी कर सकें।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, सांसदों के वेतन-भत्ते और पेंशन में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है।

चुहिया- हां जी, हमारे जन प्रतिनिधि स्वस्थ संपन्न रहेंगे तभी तो जनता की सेवा करेंगे।

500 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों के बड़े लीडरों को घेरा

5 के मारे जाने की खबर, 3 के शव बरामद

रायपुर/दंतेवाड़ा, 25 मार्च (हाईवे चैनल)। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पांच नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। लेकिन तीन के शव बरामद हो गए हैं। साथ ही हथियार भी बरामद किए हैं।मुठभेड़ स्थल से इंसास, 303, 315 बोर बंदूक बरामद की गई है। 500 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों के बड़े लीडरों के घेरा है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय ने बताया कि जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहदी क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर निकले सुरक्षा बल की टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। सुबह 8 बजे के लगभग हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही। जहां पुलिस ने लगातार नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस दौरान तीन नक्सलियों को मार

गिराया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ तीन नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं।

मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल, सर्चिंग जारी है। बताया जाता है कि नक्सलियों के बड़े कैडर के जमा होने की सूचना पर करीब 500 जवान कोर इलाके में पहुंचे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, करीब पांच नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार, इंद्रावती नदी के पार बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमा होने की सूचना पर दंतेवाड़ा और बीजापुर से जवानों की टीम एक दिन पहले मुठभेड़ स्थल पर रवाना की गई है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं दूसरी तरफ 20 मार्च को छत्तीसगढ़ में जवानों ने एक बड़ी सफलता मिली थी। बीजापुर और कांकेर जिले में नक्सलियों और सुरक्षाबलों की अलग-अलग मुठभेड़ हुई। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए और बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान बलिदान हो गया। वहीं, कांकेर में चार नक्सली ढेर हुए हैं। सभी 30 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। 30 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृहमंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा था कि नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षाबलों के दो अलग-अलग ऑपरेशन्स में 30 नक्सली ढेर कर दिए हैं।

2 किशोरियों की नदी में मिली लाश

रायगढ़, 25 मार्च (हाईवे चैनल)। जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां केलो नदी के पंचधारी स्टॉप डैम में दो सगी बहनों की तैरती हुई लाश मिली है. दोनों नाबालिग की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, मृतक नाबालिग लड़कियां रायगढ़ के विनोबानगर इलाके की रहने वाली बिंदिया और अंजलि थीं. सिटी कोतवाली पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग बहन का देर रात घर वालों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे गुस्सा होकर दोनों घर से निकल गए थे. जिसके बाद आज सुबह पंचधारी स्टॉप डैम में दोनों की लाश मिली है. इस घटना के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले में हर पहलुओं पर जांच कर रही है।

न्यूजीलैंड में पिछले 24 घंटों में 8 बार लगे भूकंप के तेज झटके, 6.5 की तीव्रता

नई दिल्ली, 25 मार्च (न्यूज चैनल)। न्यूजीलैंड में आज सुबह एक शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई। यह भूकंप न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी तट पर आया और स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2ः43 बजे महसूस किया गया। भूकंप की गहराई 33 किमी थी। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (स्स्र) के अनुसार, यह भूकंप बहुत शक्तिशाली था और इसकी तीव्रता 7.0 तक पहुंची। रिक्टर पैमाने पर 6 से 6.9 तक की तीव्रता का मतलब होता है कि इससे इमारतों की नींव में दरारें पड़ सकती हैं और संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। जियोनेट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में न्यूजीलैंड के विभिन्न इलाकों में कुल 8 भूकंप आए हैं, जिनमें से सबसे पहला भूकंप नेपियर में सुबह आया, जिसकी तीव्रता 2.7 थी, और इसे बेहद कमजोर भूकंप के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यूजीलैंड के लोग अब भी भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए सतर्क हैं, जबकि राहत और बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों ने सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान: वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ

नई दिल्ली, 25 मार्च (न्यूज चैनल)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तगड़ा कदम उठाया है, जिससे भारत, चीन और स्पेन जैसे देशों को बड़ा झटका लगने वाला है। ट्रंप ने घोषणा की है कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, उन पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा। यह नया टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा, और इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का माहौल बन सकता है।

भारत के लिए यह घोषणा एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि उसने हाल ही में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। 2023 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जो उसके कुल कच्चे तेल आयात का 1.5 प्रतिशत था। वेनेजुएला ने पिछले साल भारत, चीन और स्पेन को मिलाकर 6.6 लाख बैरल तेल निर्यात किया था, और अब ट्रंप के इस कदम से इन देशों को तेल खरीद में काफी समस्याएं आ सकती हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह घोषणा की कि 2 अप्रैल से वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला पर तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। आंकड़ों के अनुसार, रूस और सिंगापुर भी वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं, और अमेरिका ने जनवरी में 8.6 मिलियन बैरल तेल वेनेजुएला से आयात किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम वेनेजुएला की नीतियों और अपराधों को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि वेनेजुएला जानबूझकर हजारों अपराधियों को अमेरिका भेजता है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। इससे पहले, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए थे, और पिछले महीने उन्होंने निर्वासन पाइपलाइन को निलंबित कर दिया था।

राहुल गांधी नागरिकता मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए दिया और समय, 21 अप्रैल को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 25 मार्च (न्यूज चैनल)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक प्रतिवेदन पर अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दे दिया। इस प्रतिवेदन में राहुल द्वारा अपनी ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण उनके 2024 के संसदीय चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति ए.के. श्रीवास्तव की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत ने पिछले साल नवंबर में याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार से उसके फैसले के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद, केंद्र सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।

अवैध रेत खनन पर हाईकोर्ट सख्त, सिर्फ जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ा जा रहा है, एफआईआर क्यों नहीं

बिलासपुर, 25 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र से यह साफ हो चुका है कि अवैध रेत खुदाई बदस्तूर जारी है। इतने अधिक मामले सामने आने के बावजूद सिर्फ जुर्माना लगाकर ही क्यों छोड़ा जा रहा है? सिर्फ आर्थिक दंड लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि जब माइनिंग एक्ट में कठोर दंड का प्रावधान है, तो उसके तहत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?

कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त लोग बड़े स्तर पर पैसा कमा रहे हैं। वे आसानी से जुर्माना चुका देते हैं और इससे कहीं अधिक लाभ अर्जित कर लेते हैं। बार-बार जुर्माना लगाकर छोड़ना कोई समाधान नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त पैनल एक्शन लेना जरूरी है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि चार सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो अन्य राज्यों का दौरा कर रेत खनन रोकने के उपायों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा, अरपा नदी में गंदे पानी को रोकने के लिए पुणे की एक कंपनी से डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करवाई जा रही है। 26 मार्च को एमआईसी (मंडलायुक्त परिषद) की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।

राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि अब अवैध रेत खुदाई और परिवहन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। साथ ही, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध रेत खनन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना आवश्यक है, ताकि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

कोर्ट ने अरपा नदी के अलावा पूरे प्रदेश में नदियों से हो रहे अवैध रेत खनन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब माइनिंग एंड मिनरल एक्ट लागू है, तो उसके तहत कठोर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? लगातार अवैध खनन से मासूमों की जान तक जा रही है। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध खनन की वजह से पहले भी तीन बच्चियों समेत कई निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में केवल दिखावटी कार्रवाई नहीं चलेगी। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, तब तक सरकार को ठोस रिपोर्ट पेश करनी होगी।